



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।

Phone/Fax No. :- 01363-240614

Email:- eepwdgauchar@rediffmail.com

पत्रांक- 1436/1सी0 वन

दिनांक 9/9/2019

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर।

विषय:-

प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/31821/2018 जनपद चमोली में जिला योजना के अन्तर्गत सिलंगी से सेंज तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.400 है0 वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

सन्दर्भ:-

आपका ऑनलाइन ई0डी0एस0 दिनांक 21.8.2019 एवं इस कार्यालय का पत्रांक सं0 1006/1सी0 वन दिनांक 19.7.2019

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि नोडल अधिकारी द्वारा लगाई गई आपत्तियों का

निराकरण कर बिन्दुवार आँख्या निम्नवत है:-

बिन्दु सं0	प्रश्न	उत्तर
1	Bar chart seems incorrect.	Bar chart में सुधार कर पार्ट-1 के addl. document अपलोड कर दिया गया है। संलग्न 1- बार चार्ट। (पेज नं0 1)
2	Plantation Scheme of 330 Plants is required to be submitted,	Plantation Scheme of 330 Plants मूल में आपके स्तर प्रेषित की जानी है।
3	Authority letter is not submitted in hard copy.	Authority letter की छायाप्रति सत्यापित कर प्रेषित की जा रही है। संलग्न 2- Authority letter (पेज नं0 2-4)

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रकरण पर अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न:-

1- बार चार्ट-3 प्रतियों।

2- Authority letter 3 प्रति में (सत्यापित प्रति)

पत्रांक-

/1सी0

तददिनांक

प्रतिलिपि- सहायक अभियन्ता (।।।) निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 गौचर को सूचनार्थ प्रेषित।

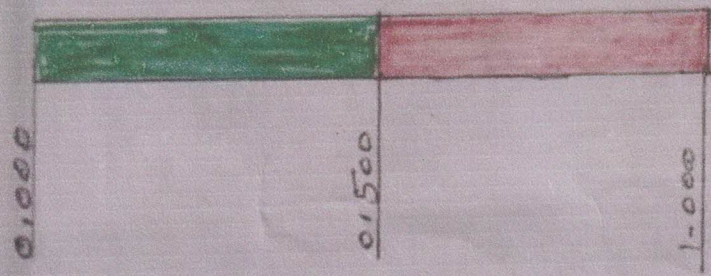
भवदीय
9/9/2019
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
गौचर (चमोली)
9.9.2019

अधिशासी, अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
गौचर (चमोली)

बॉर्डर - बॉर्डर

कार्यका नाम :- जिला योजना के अन्तर्गत सिलंगरी से
 सैज तल्ल मोहर मार्ग के नुव निर्माण हेतु
 0.350 हे० आरक्षित वन क्षति तथा सक्का डेम्प
 हेतु 0.050 हे० कुल 0.400 हे० आरक्षित वन
 क्षति का लो० नि० वि० को हस्तांतरण

स्केल - 1 से० मी० = 100 मी०
 अवर्धर 1 से० मी० = 7 मी०



"संकेत"

क्रम सं०	विवरण	चिह्न
1	आरक्षित वन क्षति	3
2	न्युन क्षति	

अधीक्षक
 जिला योजना
 जिला मुख्यालय
 जिला मुख्यालय

अधीक्षक

अधीक्षक

प्रमुखीय अधिकारी
 वन प्रभाग गोपेश्वर
 (पम्परी)

वन क्षेत्राधिकारी
 नन्दप्रयाग रेंज
 बदीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

कार्यालय जिला अधिकारी, चमोली

/ जि0यो0-3/2011-12

दिनांक : गोपेस्वर 06-09-2011

अधीक्षण अभियन्ता,

सातवा बूला, लो0नि0वि0

गोपेस्वर

जनपद चमोली के लिये जिला योजना वर्ष 2011-12 के लिये जिला नियोजन समिति द्वारा अनुमोदित मार्ग/सेतु कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।

शासनदेश संख्या 1905/111(2)/11-05/बजट/2011 दिनांक 18.04.2011 द्वारा जनपद चमोली की जिला योजना वर्ष 2011-12 में मार्ग/सेतु कार्य हेतु ₹ 615.00 लाख का परिचय स्वीकृत किया गया है।

शासनदेश सं0 624/जि0यो0/रा0यो0आ0/मु0स0/2008 दिनांक 24.03.08 के पैरा-4 के अनुसार ₹ 50.00 लाख तक की योजनाओं की वित्तीय स्वीकृति अधोहस्ताक्षरकर्ता के स्तर से जारी करने के निदेश के तहत दिनांक 22.07.11 को जिला नियोजन समिति द्वारा ₹ 571.24 लाख (पांच करोड़ इकत्तर लाख चौबीस हजार) मात्र के लिये संलग्न सूची के अनुसार 45 मार्ग/पुल-पुलिया कार्यों का अनुमोदन किया गया है। अनुमोदित 45 कार्यों हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा ₹ 571.24 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत की जाती है।

45 स्वीकृतियां शासनदेश संख्या 303/एस0पी0डब्ल्यू0बी0/2001 दि0 15.12.2001 व शासनदेश सं0 56/21/05-12/बजट/2005 दि0 17.01.2005 के क्रम में जारी की जाती है।

कार्य पर जनराशि व्यय करने से पूर्व कार्य के प्रारम्भ में, मध्य में व अन्त में फोटोग्राफ लेना सुनिश्चित करेंगे तथा सम्बन्धित फाईल का भाग बनायेंगे तथा निरीक्षण/जांच के समय समस्त अभिलेखों से प्रस्तुत करेंगे।

निर्माण कार्य को निर्धारित समय व स्वीकृत लागत में पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाय, जिस हेतु निर्माण की समय सारणी इस प्रकार तैयार की जाय कि निर्माण हेतु उपयुक्त माहों/सीजन का पूर्ण लाभ लिया जा सके, साथ ही वित्त विभाग के आदेश संख्या 177/XXXVII(7)/2008 दिनांक 01 मई 2008 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्यूरमेंट) नियमावली 2008 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे तथा आदेश संख्या 475/XXXVII(1)/2008 दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रारंभ पर निर्माण एजेंडों से एम0ओ0यू0 अवश्य किया जाय।

कार्य तब तक प्रारम्भ न किया जाय जब तक उनके ब्यौरेबार विस्तृत आगमन एवं नक्शे आदि तैयार कर सक्षम अधिकारी से प्रावधिक स्वीकृति प्राप्त न कर ली जाय एवं उन कार्यों पर कोई वित्तीय बायबा न किया जाय। निर्माण कार्य के निरीक्षण के लिये तत्कालीन स्वीकृति प्राप्त होना आवश्यक है। इसकी प्रावधिक प्रावधिक कार्यों की तत्कालीन परीक्षण करने के पश्चात् कार्य पर व्यय किया जाय। निर्माण कार्य के निरीक्षण के लिये तत्कालीन स्वीकृति प्राप्त होना आवश्यक है। इसकी प्रावधिक प्रावधिक कार्यों की तत्कालीन परीक्षण करने के पश्चात् कार्य पर व्यय किया जाय। निर्माण कार्य के निरीक्षण के लिये तत्कालीन स्वीकृति प्राप्त होना आवश्यक है। इसकी प्रावधिक प्रावधिक कार्यों की तत्कालीन परीक्षण करने के पश्चात् कार्य पर व्यय किया जाय।

उक्त धरती का खर्च स्वीकृत कार्यों पर ही बिखे जाय, अन्य योजनाओं पर लागू उपयोग किया जाय तथा स्वीकृति का प्रचार में व्यय नहीं किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्यय में लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या 22 लेखाशेषक 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परियोजना-04 जिला तथा अन्य सड़कें-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-91 जिला योजना 00-24 बृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
संलग्न - उपरोक्तानुसार 45 कार्यों की सूची

सहायक अभियन्ता

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड

जिला अधिकारी,
चमोली

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गौचर

ख्या :- 1145 / जि० यो०-3/2011-12

दिनांक : गोपेश्वर

2011

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, भाजरा, देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता स्तर-1, उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
6. संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. निदेशक, एन०आई०सी०, राज्य ईकाई, देहरादून।
8. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
9. मुख्य अभियन्ता (ग०क्ष०) लो०नि०वि०, पौड़ी।
10. निदेशक, अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
12. अधीक्षण अभियन्ता, सातवां वृत्त, लो०नि०वि०, गोपेश्वर।
13. अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय/अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, गोपेश्वर/कर्णप्रयाग/गौचर/थराली।
14. अर्थ एवं संख्याधिकारी, गोपेश्वर।

संलग्न :- 45 कार्यों की सूची।

जिला अधिकारी,
गौचर

सहायक अभियन्ता

निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गौचर

सहायक अभियन्ता

निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गौचर

(4)

-5-

जिला योजना वर्ष 2011-12 हेतु अनुमोदित/स्वीकृत कार्यों का विवरण

विकासखण्ड का नाम	कार्य का नाम	लंबाई (किमी./मी.) में	अनुमानित लागत (लाख ₹ में)
3	5	6	7
खण्ड : अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गौनर :-			
	नव निर्माण के कार्य प्रथम चरण		
	हापला गुडग-नैल मोटर मार्ग के किमी 0 से मसौली गोंव तक लिक मार्ग	0.25 + 18 mtr	6.00
कर्णप्रयाग	जयकण्ठी-मैयूरा के किमी 0 8.00 से सलीगाढ तक सामक मार्ग	0.30-12 mtr	6.00
कर्णप्रयाग	सिनी से सैज तक मोटर मार्ग	1.00	12.60
कर्णप्रयाग	जयकण्ठी से सिरतोली मोटर मार्ग	1.50	19.00
	गुडिया निर्माण :-		
पोखरी	पोखरी-विशालखाल के किमी 0 6 से 6 मी 0 स्थान की पुलिया	6 mtr	12.60
पोखरी	समीगाढ में प्राथमिक विद्यालय ग्वाड के रस्ते में गडीगाढ एवं बगडोरा पर पुलिया का अवशेष कार्य	6 mtr	5.00
	पुनः निर्माण :-		
कर्णप्रयाग	धारडुशी-मैयूरा के किमी 0 0.50 से 1.00 तक मोटर मार्ग का दफ्तरीकरण	0.50	6.00
पोखरी	पोखरी-विशालखाल मोटर मार्ग के किमी 0 1.50 से 16.00 तक दीवार निर्माण कार्य	L.S.	8.00
पोखरी	पोखरी-गोपेश्वर मोटर मार्ग के ग्राम सरना में कास्तकारी की भूमि का मुआवजा	L.S.	1.50
गरसैण	आदिबटो-नौटी मोटर मार्ग किमी 0 6 से 7 नगली बाजार में पक्की नाली का निर्माण एवं अन्य काम	300 mtr	5.00

EAM 11/11/12

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड इरोड जिला
गौनर

(16)